रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22102025-267072
CG-DL-E-22102025-267072

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4649] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 22, 2025/आश्विन 30, 1947
No. 4649] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2025/ASVINA 30, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4778(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1951(अ) दिनांक 01/05/2025 जो भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 01/05/2025 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में SOB#176 से SOB#194 VIA SOB#277 ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, द्वारा, गुजरात राज्य के कड़वासन & रामपुरा कुकास गांव, तहसील मेहसाणा एवं जिला मेहसाणा में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 06/05/2025 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है; और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम,1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

पाइप लाइन रूट मैप फॉर ड्रिल साइट SOB#176 से SOB#194 VIA SOB#277

तालुका:- मेहसाणा **जिला:- मेहसाणा** **राज्य:- गुजरात**

गांव का नाम		सर्वे / ब्लोक न.	भाग यदि कोई हो	क्षेत्रफल		
				हेक्टर	आर	सेन्टीआर
1		2	3	4		
1	कड़वासन	198		00	03	80
2		216		00	31	50
3		213		00	23	10
4		212		00	15	05
5		227		00	19	65
6		228		00	01	30
7		268		00	06	05
8		293		00	09	45
9		492		00	02	86
10		295		00	11	25
11		296		00	07	50
12		325		00	10	35
13		324		00	05	40
14		321		00	09	70
15		320		00	07	05
16		319		00	08	76
17		316		00	18	15
18		317		00	19	20
19	रामपुरा कुकास	101		00	03	70
20		323		00	06	45
21		99		00	04	95
22		98		00	11	20
23		97		00	05	85
24		96		00	06	10

25		94		00	14	10
26		93		00	12	65
27		91		00	05	80
28		90		00	05	70
29		88		00	13	76
30		87		00	07	20
31		86		00	08	10
32		85		00	14	65
33		84		00	12	85
कुल क्षेत्रफल				**03-43-18**		

[फा. सं. इएक्सपीएल-13011(26)/13/2025-इएक्सपीएल- पीएनजी (ई-52691)]

सचिन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2025

S.O. 4778(E).— Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1951(E) Dated 01/05/2025 issued under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra-ordinary Gazette of India dated 01/05/2025 the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline from SOB#176 TO SOB#194 VIA SOB#277 in Kadvasan & Rampura Kukas villages, Tal. Mehsana & Dist. Mehsana in the State of Gujarat to be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas copies of the said Extra-ordinary Gazette notification were made available to the public up to dated: 06/05/2025 .

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation Ltd. free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd., shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

PIPE LINE FOR DRILL SITE SOB#176 TO SOB#194 VIA SOB#277

TALUKA:-MEHSANA DISTRICT:-MEHSANA STATE:-GUJARAT

Name of village		Survey No./Block No.	Part if any	ROU Area		
				Hq.	Are	Sq. mtr.
1		2	3	4		
1	Kadvasan	198		00	03	80
2		216		00	31	50
3		213		00	23	10
4		212		00	15	05
5		227		00	19	65
6		228		00	01	30
7		268		00	06	05
8		293		00	09	45
9		492		00	02	86
10		295		00	11	25
11		296		00	07	50
12		325		00	10	35
13		324		00	05	40
14		321		00	09	70
15		320		00	07	05
16		319		00	08	76
17		316		00	18	15
18		317		00	19	20
19	Rampura Kukas	101		00	03	70
20		323		00	06	45
21		99		00	04	95
22		98		00	11	20
23		97		00	05	85
24		96		00	06	10
25		94		00	14	10
26		93		00	12	65
27		91		00	05	80
28		90		00	05	70
29		88		00	13	76
30		87		00	07	20
31		86		00	08	10
32		85		00	14	65
33		84		00	12	85
			Total	**03-43-18**		

[F. No. Expl-13011(26)/13/2025-EXPL-PNG (E-52691)]

SACHIN KUMAR, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.10.22 19:18:19 +05'30'